माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2010/निगरानी/ R-1288-II/2010

1. भागीरथ पिता काना जी जाट उम्र 50 वर्ष,
2. परमानन्द पिता बाला जी जाट उम्र 45 वर्ष,

धंधा : खेती, निवासीगण– ग्राम डिगोद तह. हाटपिपल्या,
जिला देवास (म.प्र.)

———प्रार्थीगण निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. हजारीलाल पिता जगन्नाथ जाट
2. सन्तोष पिता जगन्नाथ जाट
3. मोहन पिता जगन्नाथ जाट

निवासीगण ग्राम डिगोद तह.हाटपिपल्या
जिला देवास (म.प्र.)

———प्रतीप्रार्थी विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता के तहत

माननीय महोदय,

प्र0क्र0 10/निगरानी/2009–2010 आदेश दिनांक 07.09.2010 एवम् अपर कलेक्टर, जिला देवास एवम् तहसीलदार हाटपिपल्या के प्रकरण क्रमांक चार/अ–13/2009–2010 पारित आदेश दिनांक 22.07.2010 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत।

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि, विपक्षी ने तहसीलदार हाटपिपल्या के समक्ष एक आवेदन पत्र धारा 131 भू.रा.सं. के तहत प्रस्तुत साथ में एक आवेदन पत्र धारा 32 भू.रा.सं. का प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थीगण को दिनांक 04.07.2010 को प्रकरण में यह उल्लेखित किया कि प्रकरण में विपक्षी ने आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा बौनी नहीं हो पा रही है। प्रकरण में धारा 32 के आवेदन का जवाब लिये बगैर स्थल निरीक्षण हेतु पेशी 15.07.2010 नियत की इसी प्रकार 15.07. 2010 को न्यायालय द्वारा स्वयं द्वारा पारित प्रोसीडिंग का पालन नहीं किया

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1288-दो/10 **जिला** - देवास

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	